

भूमि कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)

कमांक / न.पा.नाथ / 2021 / प्र.श.के.स-2021 / 11084

दिनांक :- 13.04.2022

प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 के तहत एम्पावर्ड कमेटी अनुमोदन समिति की संयुक्त बैठक कार्यवाही विवरण :-

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश कमांक प.8ग/नियम/डी.एल.बी./2021/68664 जयपुर दिनांक 27.09.2021 के बिन्दू संख्या 01 के अनुसार गठित एम्पावर्ड कमेटी बैठक चूंकि एम्पावर्ड कमेटी बैठक श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका नाथद्वारा नगरपालिका की अध्यक्षता में सभा गृह में दिनांक 13.04.2022 को प्रातः 10.30 बजे आयोजित हुई जिसमें उपस्थिति निम्न प्रकार रही।

1. श्री मनीष राठी अध्यक्ष नगरपालिका नाथद्वारा एवं अध्यक्ष ले आउट प्लान अनुमोदन समिति।
2. श्री कौशल कुमार खटुमरा, आयुक्त नगरपालिका नाथद्वारा एवं सदस्य सचिव ले आउट प्लान अनुमोदन समिति।
3. श्री सहायक / उपनगर नियोजक उदयपुर जोन उदयपुर।
4. श्री फतहसिंह, सहायक अभियन्ता, नगरपालिका नाथद्वारा।
5. श्री किशन यादव, कनिष्ठ लेखाकार/विशेष आमंत्रित सदस्य, नगरपालिका नाथद्वारा।
6. श्री प्रतिक नामा, कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका नाथद्वारा।
7. श्री सौरभ मिश्रा, कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका नाथद्वारा।
8. श्री रिषभ जोशी, वरिष्ठ प्रारूपकार एवं नोडल भूमि शाखा प्रभारी नगरपालिका नाथद्वारा।
9. श्री सुरेश पंवार, भूमि शाखा सहायक, नोडल नगरपालिका नाथद्वारा।

उपरोक्तानुसार कोरम पूर्ण होने पर आयुक्त एवं सदस्य सचिव ले आउट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा समस्त सदस्य महानुभावों का स्वागत एवं अभिनन्दन करते हुये निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

1. सघन आबादी क्षेत्र/परकोटा/एस 3 क्षेत्र के नियमानुसार निर्धारण के प्रस्ताव पालिका सूचना कमांक न. पा.नाथ/21/6791 दिनांक 26 अक्टूबर 2021 पर प्राप्त संशोधन/ आपत्ति अनुसार समाहित कर अन्तिम नोटिफिकेशन जारी करने पर चर्चा:- इस विषय पर श्रीमान आयुक्त एवं सदस्य सचिव एम्पावर्ड कमेटी ने श्रीमान् अध्यक्ष एम्पावर्ड कमेटी को जानकारी दी की भवन निर्माण विनियम 2020 की बिन्दु संख्या 3 में उल्लेखित एस-3 क्षेत्र की परिभाषा अनुसार तथा उक्त विनियम के बिन्दु संख्या 5.3 में एस-3 क्षेत्र सघन आबादी क्षेत्र में भवन निर्माण हेतु मापदण्ड निर्धारित है जिसकी पालना में नाथद्वारा के ऐतिहासिक एवं प्राचीन नगर बसावट को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व बैठको में सम्पूर्ण निर्धारित कार्यवाही तथा आपत्ति एवं सुझाव अभिन्त्रित किये जा चुके हैं जो अन्तिम रूप से पालिका में पदस्थ वरिष्ठ प्रारूपकार तथा कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा परीक्षण उपरान्त अन्तिम रूप से प्रकरण तैयार कर निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित करने हेतु अनुमोदन एवं अग्रिम कार्यवाही के लिये प्रस्तुत है इस पर श्रीमान् सहायक नगर नियोजक द्वारा समिति को जानकारी प्रदान की गयी कि नाथद्वारा शहर विशेष श्रेणी का नगर होने से विभिन्न प्रकरणों में स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य स्तर पर भिजवाये जाते हैं। अतः भवन विनियम-2020 के बिन्दु संख्या 5.3 एस-3 क्षेत्र (सघन आबादी क्षेत्र) अनुसार नगर पालिका द्वारा सघन आबादी क्षेत्र की सूची



आयुक्त

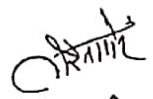
नगरपालिका नाथद्वारा



AEM
NPNTD



अध्यक्ष
नगर पालिका नाथद्वारा

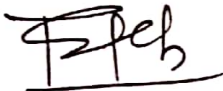


ATP UDR.

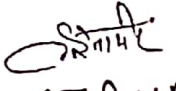
एम्पावर्ड कमेटी के अनुमोदन उपरान्त स्वायत्त शासन विभाग को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना उचित है। जिस पर पालिका अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकरण में उक्त सूचनाओं सहित निदेशालय में प्रस्तुत करने हेतु पालिका के वरिष्ठ प्रारूपकार को निर्देशित प्रदान कर उक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

2. नगर पालिका क्षेत्र में पालिका के आम सूचना एवं आपत्ती सूचना क्रमांक :न.पा.नाथ/22/9096 दिनांक 08.02.2022 पर आगामी कार्यवाही कर निदेशालय के आदेश क्रमांक प.8ग नियम/डीएलबी/21/67359 दिनांक 4 अगस्त 2021 अनुसार कच्ची बस्ती डिनोटिफाईड कार्यवाही करना। पालिका द्वारा कच्ची बस्ती बस्तियों को डिनोटिफाईड किये जाने के संबंध में पालिका क्षेत्र की आठ कच्ची बस्तियां सम्मिलित है, उक्त कच्ची बस्तियों में 95 प्रतिशत से अधिक विकास कार्य यथा मुलभूत सुविधाएं जैसे, सड़क, पानी, विजली, इत्यादि शामिल होने की स्थिति में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक भूमि/एफ.7(ड)(27)डीएलबी/09/21659 दिनांक 29.11.2012 द्वारा निजयम निति 2005 के तहत अनाधिसूचित (डिनोटिफाईड) करने हेतु स्थानिय स्तर की संबंधित निकाय की कमेटी को अधिकृत किये जाने एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक प.8(ग)()नियम/डीएलबी/21/67359 जयपुर दिनांक 04.08.2021 के अनुसरण में कच्ची बस्तियों को अनाधिसूचित करने हेतु स्थानिय स्तर की संबंधित निकाय की एम्पावर्ड कमेटी को अधिकृत किया गया है, के कम में नाथद्वारा क्षेत्र में स्थित समस्त कच्ची बस्तियों को उपरोक्तनुसार नियमानुसार समस्त आधारभूत विकास कार्य होने की रिपोर्ट समस्त तकनीकी अधिकारियों की रिपोर्ट अनुसार प्राप्त होने के कारण वर्तमान स्थिति अनुसार डिनोटिफाईड किये जाने का निर्णय सर्वसम्मती से लिया जाकर प्रकरण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
3. पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ 19/275पवि/के.प्र.यो./15 पार्ट/583 दिनांक 12 अप्रैल 2022 के अनुसार प्रकरण को परिवर्तित स्थान अनुसार स्थानीय उपापन समिति की अभिशंषा को संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव निदेशालय में प्रेषित करने सम्बन्धी प्रकरण। प्रकरण में दिनांक 12.4.2022 को परियोजना के मूल विभाग द्वारा कार्यकारी एजेन्सी नगर पालिका नाथद्वारा को उक्त पत्राक के जरिए उक्त कार्य के स्थान पर परिवर्तन की सूचना तथा कार्य के अन्तिम पूर्णता समयावधि हेतु सूचना प्रदान की है जिस पर पालिका के सहायक अभियंता एवं अधिशाषी अभियंता द्वारा प्रस्तुत नवीन कार्यस्थल अनुरूप आईटम वार विचलनो सहित संशोधित तकमीना तैयार कर उपापन समिति नगर पालिका नाथद्वारा को प्रस्तुत किया गया है जिस पर उपापन समिति द्वारा पूर्व तथा वर्तमान तकमीने में कार्यस्थल में परिवर्तन अनुसार होने वाले संशोधनों अनुसार परिवर्तित तकमीना की विभागीय तकनीकी निर्देशो अनुसार सक्षम स्तरीय संशोधित तकनीकी स्वीकृति हेतु श्रीमान् मुख्य अभियंता स्थानीय निकाय विभाग जयपुर को मय उपापन समिति अभिशंषा के प्रेषित किया जाना है जिससे सक्षम तकमीना विचलन की स्वीकृति अनुसार उक्त कार्य को तय समय सीमा में पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित हो सके इस पर अध्यक्ष महोदय एम्पावर्ड कमेटी ने उक्त कार्य के उपापन समिति से प्राप्त अभिशंषा प्रस्ताव को सक्षम स्तरीय संशोधित तकनीकी स्वीकृति हेतु अतिशीघ्र श्रीमान् मुख्य अभियंता निदेशालय को भिजवाये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया तथा पालिका के सहायक अभियंता एवं अधिशाषी अभियंता को उक्त कार्य को तय समयसीमा में पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही पर्यटन विभाग के पत्रांक संख्या 583 दिनांक 12.04.2022 एवं उक्तानुसार सक्षम स्तरीय संशोधित तकनीकी स्वीकृति मय विचलन की प्रत्याशा में डीम्ड प्रशासनिक स्वीकृति सर्वसम्मती से जारी की गई।
4. पालिका योजना 120 फिट पर व्यावसायिक भूखण्डो की ई-निलामी सम्बन्धी प्रकरण में चर्चा। पालिका आयुक्त द्वारा बताया गया कि नगरपालिका नाथद्वारा द्वारा गणेश टेकरी 120 फीट रोड पर स्थित


आयुक्त
नगरपालिका नाथद्वारा


AEN
NP NTD.


अध्यक्ष
नगर पालिका नाथद्वारा


ATP UDR.

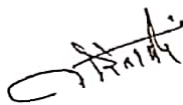
नगरपालिका की पूर्व में स्वीकृत व्यवसायिक योजना तथा स्वीकृत ले आउट अनुसार निलामी सचूना पालिका द्वारा 15.03.2022 को सार्वजनिक विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की जा चुकी है तथा तकनीकी कारणों से उक्त दिनांक को पालिका के संशोधित सार्वजनिक निलामी सचूना दिनांक 11.04.2022 को जारी कर उक्त ई आवशन को दिनांक 5 मई से एच.डी.एफ.सी बैंक के साथ अनुबन्ध अनुसार ई निलामी मौका स्थिति अनुसार प्राप्त क्षेत्रफल अनुसार तथा प्राप्त साईज अनुसार की जा रही है इस पर श्रीमान् सहायक नगर नियोजक ने बताया कि सफलता पूर्वक ई आवशन के माध्यम से उक्त निलामी करने से पूर्व मौक की सम्पूर्ण सीमांकन तथा पत्थर गढी करवा कर वास्तविक प्राप्त क्षेत्रफल अनुसार ई निलामी करना उचित रहेगा इस पर समिति ने सर्व सम्मति से उक्त कार्यवाही हेतु पालिका के सहायक अभियन्ता तथा वरिष्ठ प्रारूपकार को इस कार्य हेतु कोटेशन कर आगामी 7 दिवस में निलामी दिनांक से पूर्व उक्त कार्यवाही करवा पालिका वेबसाईट तथा ऑनलाइन पोर्टल पर उक्त सम्बन्धा में स्पष्ट ले आउट प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया।

5. प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 की प्रगति एवं कार्यक्रम एवं समीक्षा। श्रीमान आयुक्त नगर पालिका ने बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा आम जन को अधिकतम लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से प्रशासन शहरो के संग अभियान की अवधि एक वर्ष तक बढ़ा दी गयी है तथा मई माह से उक्त कैम्पो का आयोजन इस बाबत किया जाना है इस पर अध्यक्ष महोदय ने निर्देश प्रदान किये कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार कैम्पो का आयोजन सफलता पूर्वक किया जाये तथा इस बाबत आमजन को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हेतु भी कार्यवाही की जाये।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्ति की घोषणा अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई।



सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता
सदस्य ले आउट प्लान अनु. समिति
नगर पालिका नाथद्वारा



सहायक नगर नियोजक एवं सदस्य ले आउट प्लान अनु. समिति
नगर पालिका नाथद्वारा



सदस्य सचिव ले आउट प्लान अनु. एवं आयुक्त, नगरपालिका नाथद्वारा



अध्यक्ष नगरपालिका एवं अध्यक्ष ले आउट प्लान अनु. समिति
नगर पालिका नाथद्वारा

क्रमांक/न.पा.ना/2022/11084-11087

दिनांक :- 13.04.2022

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् अध्यक्ष नगरपालिका एवं अध्यक्ष ले आउट प्लान अनु. समिति, नगरपालिका नाथद्वारा
2. सहायक नगर नियोजक एवं सदस्य ले आउट प्लान अनु.समिति नगरपालिका नाथद्वारा।
3. सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता, सदस्य ले आउट प्लान अनु. समिति नगरपालिका नाथद्वारा।
4. सुरक्षित पत्रावली।